

५५: परिवारमूलक स्वराज्य व्यवस्था-३

दिनांक -२३-०१-२०१२

पहला व्यवस्था परिवार है जिसमें १० व्यक्तियों का होना स्पष्ट हुआ | दसों व्यक्ति मतदाता के रूप में होंगे | यही परिवार में पहला निर्वाचन होगा | ऐसा १० परिवार के प्रतिनिधि एक परिवार समूह सभा को गठित करेंगे जिसमें १० परिवार के बीच प्रधान रूप में समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारियों का प्रमाण प्रस्तुत होगा | इस क्रम में हर व्यक्ति समझदार, ईमानदार, जिम्मेदार, भागीदार होना प्रमाणित होता है | इसी के फलस्वरूप १० परिवार समूह सभा में से १-१ जन प्रतिनिधि को निर्वाचित करना होता है | ऐसे १० प्रतिनिधि अथवा जन प्रतिनिधि एक मोहल्ला अथवा ग्राम सभा का गठन करेंगे | इसमें हर सदस्य का अधिकार समान होता है | इनका प्रक्रिया यही रहेगी कि जब जो समस्या आती है उसे तिथि, वार, समय तीनों के साथ समस्या का नाम लिख कर समाधान प्रस्तुत करना होता है | ऐसा समाधान प्रस्तुत करना अभ्युदय विधि से सर्वसुलभ होता है अर्थात् सर्वतोमुखी समाधान विधि से अभ्युदय का प्रमाण होता है | यह समझदार व्यक्ति में समान रूप में वर्तमान रहता है | इसी क्रम में ग्राम मोहल्ला परिवार सभा सदस्यों में भी प्रकाशमान होना स्वाभाविक है |

ग्राम मोहल्ला परिवार सभा में ही पांचों आयामों की समितियां गठित होंगी | यह आगे की सातों समितियों में गठित रहेगा | इन सभाओं में विशेषता यही रहेगा कि हर समितियां अपने समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी को प्रमाणित कर पाएंगे | इसमें कार्यकारी व्यक्तियों को ग्राम मोहल्ला परिवार सभाओं में कार्यरत दसों सदस्यों द्वारा एक मत से मनोनीत करेंगे, विरोधाभास नहीं रहेगा | मनोनीत करने का अधिकार दसों व्यक्तियों में समान रूप में वर्तमान रहेगा | इन्हीं समितियों के रूप में ग्राम मोहल्ला परिवार सभा का वैभव स्वराज्य रूप में अर्थात् स्वायत्त विधि से सम्पन्न रहेगा | इसमें हर सदस्य किसी न किसी समाधान, समृद्धि, अभय, सह-अस्तित्व सम्पन्न परिवार में ही रहेंगे | ऐसे सदस्यों का कार्यकाल में जितने भी श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम कार्यों को करते हैं वह उल्लिखित रहेगा | इस आधार पर दिनों दिन उन्नति की ओर गतिशील होने की सम्भावना दिखाई पड़ती है | इस लेख को लिखने वाला व्यक्ति समझदारी को पूरा समझते हुए ईमानदारी से प्रकट करने का कोशिश किया है | अखण्ड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में व्यवस्था होना अपेक्षित है | यही अपराध-मुक्त व्यवस्था के रूप में परिगणित होता है | हर मानव समझदार, ईमानदार, जिम्मेदार होना चाहता ही है |

दूसरे विधि से अर्थात् भ्रम विधि से समझदार, ईमानदार, जिम्मेदार होने का दावा भी करते हैं | इस क्रम में मनमानी करते हुए अपने को समझदार घोषित करते हैं, यही भ्रम है | इसी में सम्पूर्ण अनाचार, दुराचार, अत्याचार छुपा हुआ रहता है | धरती पर मानव अभी तक उक्त तीनों प्रकार के आचार के विपरीत होने का अपेक्षा भी व्यक्त किया है | सम्भवतः सभी संविधानों में अपराध मुक्ति की अपेक्षा है | अपराध मुक्ति समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी के आधार पर ही प्रमाणित हो पाता है | इसे भली प्रकार से जाँचा गया है | हर व्यक्ति इसे जाँच सकता है | जाँचने के क्रम में ही हर मानव अपने में अपने सामर्थ्य को अपना सकता है, सुझाव भी यही है कि जाँच कर अपनाना चाहिए | इसी विधि से हर मानव अपने को जांचते हुए प्रमाणित करना ही गति है | जिसका गति समाजगति है | समाजगति का तात्पर्य ही है उन्नति के पश्चात् उन्नति होना | सर्वप्रथम समाधान को प्रस्तुत करने में जितना खूबियां हो सकती हैं वह तो होगा ही और आगे पीढ़ी में यह उन्नत रूप धारण करना स्वाभाविक है | इसका कारण यही देखने में मिलता है कि परम्परा में जो है उसे मानव समझ ही सकता है साथ में स्वयं

का कल्पनाशीलता भी जुड़ता है जिससे और खूबियां बढ़ना स्वाभाविक है। इस क्रम में हर देश काल परिस्थिति में हर मानव समझदार, ईमानदार, जिम्मेदार, भागीदार होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसी क्रम में ग्राम मोहल्ला परिवार सहज परम्परागत विकल्पात्मक चेतना सम्पन्न रहते हुए अपने कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता को जोड़कर प्रस्तुत होना स्वाभाविक है। इस ढंग से हर व्यक्ति अपनी खूबी से पर्याप्त रहते हैं। इसे सम्भावना के रूप में जाँचा गया है। इसे हर व्यक्ति जाँच भी सकता है। इसी क्रम विधि से मानव संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था का प्रकटन पाँचों समितियों द्वारा सभा में प्रकाशित हो पाता है। शिक्षा-संस्कार समिति अपने कर्तव्य के रूप में ग्राम मोहल्ला के हर मानव संतान को चेतना विकास मूल्य शिक्षा सुलभ हो पा रहा है की नहीं हो पा रहा, इसका ध्यान देंगे, परखेंगे, हर बच्चे को सुलभ करायेंगे। १-१ वर्ष के लिये निर्धारित ज्ञान ग्रहण होने के पश्चात ही अगले वर्ष की शिक्षा सुलभ होगी। विद्यार्थियों में इस विधि से १-१ वर्ष में २-२ वर्ष का शिक्षा ग्रहण करने का सम्भावना बनती है। ग्रहण करने का गति तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम हो सकता है।

इस विधि से स्कूली शिक्षा पूरा हो पाता है। यही प्रतिभा का परिचय का आधार रहेगा। इसको हर व्यक्ति अच्छी तरह से समझ सकता है। औचित्यता को स्वीकार कर सकता है। हर विद्यार्थी क्रम से शुरुआत करता है। सम्बोधन, भाषा, गणित विधि से शुरुआत करते हुए निपुणता, कुशलता, पांडित्य तक पहुंचते हैं। पहुंचने का जगह निपुणता, कुशलता, पांडित्य ही है। निपुणता, कुशलता, पांडित्य में मुख्य बात यही है कि हर व्यक्ति अर्थात् हर विद्यार्थी समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी के साथ जीने के लिये उत्पादन-कार्य, व्यवहार-कार्य व व्यवस्था-कार्यों में पारंगत रहना ही निपुणता, कुशलता, पांडित्य का प्रयोजन है। इसी प्रयोजन के अर्थ में हर मानव संतान अपने कर्तव्य-दायित्व के प्रति सजग होना स्वाभाविक है क्योंकि परम्परा जागृत रहता है। जागृत परम्परा ही प्रेरक होना पाया जाता है। हर विद्यार्थी बाल्यावस्था में ही न्याय का याचक, सही कार्य-व्यवहार का इच्छुक, सत्य वक्ता होता है। इनमें सत्य बोध कराने की आवश्यकता होती है। सत्य बोध, सह-अस्तित्व रुपी परम सत्य के रूप में बोध होता है। सह-अस्तित्व में सम्पूर्ण वस्तु होना पाया जाता है। इसी का अध्ययन कराया जाता है। सत्तामयता अपने में सम्पृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति ही है। जड़ प्रकृति में परिणाम परिवर्तन होता है।

चैतन्य प्रकृति में गुणात्मक परिवर्तन होता है, अन्यथा हास होता है। हास कोई व्यक्ति नहीं चाहता, विकास ही चाहता है। परम्परा जागृत होना ही परम्परा में हर मानव संतान जागृत होने का आधार है। इसी क्रम में मानव भ्रम-मुक्त, अपराध-मुक्त परम्परा के रूप में सत्य बोध, न्याय बोध, धर्म बोध सहित जीने का व्यवस्था है। इस प्रकार जीना ही अखण्ड समाज सार्वभौम व्यवस्था का मतलब है। अखण्ड समाज ही मूल रूप में प्रयोजन है। यह हर देश काल में समझदार मानव के रूप में हर नर-नारी प्रमाणित होना ही प्रयोजन है। समझदार मानव परम्परा में अखण्डता, सार्वभौमता प्रमाणित होता है। अखण्ड समाज में ही अथवा अखण्डता में ही मानव जाति एक, मानव धर्म एक; विचार, व्यवहार और अनुभव में प्रमाणित होता है। यही प्रमाण का मूल आधार है, जिससे समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व प्रमाणित होता है। इसी के आधार पर स्वधन, स्वनारी/स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य-व्यवहार मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना पूर्वक प्रमाणित होता है, सार्थक होता है। यही अखण्ड समाज सार्वभौम व्यवस्था का मूल आधार है।

सार्वभौम व्यवस्था अपने में चारों अवस्था के साथ संतुलन बनाये रखने में है; जिसके फलस्वरूप नियम, नियंत्रण, संतुलन प्रमाणित होता है। परम सत्य रूप में सह-अस्तित्व को देखा गया है।

न्याय के रूप में सम्बंधों को सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में पहचान पाना, मूल्यों के निर्वाह के अर्थ में पहचाना गया है | यह ग्राम मोहल्ला परिवार में प्रमाणित होता है | यह सर्वमानव में स्वीकार्य होता है तथा पारंगत, प्रमाणित होता है | इस विधि से पांचों आयाम वैभूवित होते हैं | इस प्रकार ग्राम मोहल्ला परिवार सभाओं में भी कार्यरत सदस्य परिवार के रूप में मानव संस्कृति, सभ्यता का प्रमाण प्रस्तुत करना सहज है | इस ढंग से हर परिवार सभा अथवा स्थली परिवार मानव संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था का धारक, वाहक है | धारक, वाहक का मतलब समझदारी व समझदारी का प्रमाण | वाहकता का मतलब परम्परा में निर्वाह करने से है | यही परिवार सभा का मतलब है |

सर्वशुभ हो! जय हो! मंगल हो! कल्याण हो!

- ए. नागराज | प्रणेता एवं लेखक - मध्यस्थ दर्शन (सह-अस्तित्ववाद) | भजनाश्रम, अमरकंटक, जिला-अनूपपुर (म. प्र.)